न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—441/2019/225 (2019/00441)

1. लादी पुत्री सुवा, जाति माली, निवासी केकड़ी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. गोपाल पुत्र सुवा,
2. बालू पुत्र सुवा,
   जाति माली, निवासी केकड़ी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।
3. सीताराम पुत्र देवीलाल जाट,
4. बाबूलाल पुत्र बालूमल सिंधी,
5. ठाकुरदास पुत्र बालूमल सिंधी,
6. ज्ञानचंद पुत्र सुजानमल अग्रवाल,
7. ज्ञानप्रकाश पुत्र महेन्द्र कुमार टांक,
   समस्त निवासी केकड़ी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।
9. उप पंजीयन अधिकारी, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 22.11.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 14/2018.

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री हेमराज गुप्ता, वकील रेस्पो0 संख्या 1 एवं 2.
3. श्री आर0पी0शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 7.
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 8 व 9.

निर्णय

दिनांकः— 24.02.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 22.11.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो0 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम केकड़ी, तहसील केकड़ी स्थित खसरा नंबर 4984 रकबा 0.26 है0, 4985 रकबा 0.50 है0, 4986 रकबा 0.17 है0, 4984 रकबा 0.30 है0, 4991 रकबा 1.12 है0, 4992 रकबा 0.03 है0, 5238 रकबा 0.80 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 3.18 है0 एवं खसरा नंबर 4694 रकबा 3.18 है0, 4695 रकबा 0.90 है0, 4696 रकबा 0.15 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.06 है0 भूमियां स्थित है। उपरोक्त विवादित आराजियात प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी आराजियात है जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 1359 फसली में

प्रार्थिया के पडनाना गोरू पुत्र काना माली के नाम दर्ज चली आ रही है जिसमें प्रार्थिया का भी हक व अधिकार निहित है । प्रार्थीया के पडनाना गोरू का देहात होने के उपरांत उपरोक्त वर्णित आराजियात उनकी पुत्री ग्यारसी के नाम दर्ज हो गई तत्पश्चात् प्रार्थिया की माता श्रीमती नन्दू पत्नि सुवा माली के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन हुआ । इस प्रकार प्रार्थिया बाई एडोप्शन लॉ बाई बर्थ हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत पडनाना की सम्पति को प्राप्त करने की हकदार हो चुकी है परन्तु प्रार्थिया के पडनाना एवं ग्यारसी पुत्री गौरू की मृत्यु के बाद उक्त वाद वर्णित आराजियात को ग्यारसी पत्नि मांगीलाल ने गेर कानूनी रूप से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम वसीयत कर दी थी । उपरोक्त वसीयत को निरस्त कराने बाबत् एक वाद सिविल न्यायाधीश के समक्ष विचारधीन है इसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने गेर कानूनी रूप से उपरोक्त विवादित आराजी का बेचान अप्रार्थी संख्या 3 व 4 लगायत 7 को कर दिया था । इसलिये विवादित आराजी के बाबत् विभिन्न न्यायालयों में वाद विचाराधीन है इसलिये प्रार्थिया के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाकर अप्रार्थीया को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 11.1.2018 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात बाबत् मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने दिनांक 31.10.2019 को अप्रार्थीगण का जवाब प्राप्त कर आनन–फानन में उसी दिन दोनों पक्षो की बहस सुनकर अपने आदेश दिनांक 22.11.2019 को प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 212 निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के विचाराधीन रहते प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी बाबत् विपक्षीगण ने एक मुख्तयारनामा आम रामावतार डोडिया पुत्र रामप्रताप डोडिया जाति महाजन माहेश्वरी निवासी केकड़ी के पक्ष में रजिस्टर्ड कर निष्पादित कर दिया है जिसकी आड़ में रामावतार डोडिया द्वारा उपरोक्त भूमि पर खनन कार्य करने पर सख्त आमादा है । चूंकि बार–बार प्रार्थिया द्वारा स्थगन आदेश का हवाला देकर थानाधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो थानाधिकारी द्वारा यह कथन किया जाता है कि रामावतार डोडिया उपरोक्त प्रकरण में पक्षकार मुर्तिब नहीं है इसलिये न्यायालय हाजा द्वारा जारी स्थगन आदेश रामावतार डोडिया पर प्रभाव नहीं रखता है । इसलिये रामावतार डोडिया एवं सहायक खनिज अभियंता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सावर आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया जाना कानूनन अनिवार्य है । अतः प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 स्वीकार कर रामावतार डोडिया जाति महाजन माहेश्वरी, निवासी केकड़ी एवं सहायक खनिज अभियंता, खान एवं भू–विभान विभाग, सावर को उक्त अपील में बतौर रेस्पो0 पक्षकार कायम किया जाने के आदेश प्रदान करावे ।

4. विद्वान वकील रेस्पो0 ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 का लिखित जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन असत्य है । खनन विभाग द्वारा नियमानुसार खनन पट्टा जारी किया गया है जिसमें किसी प्रकार का गैर कानूनी कार्य नहीं हुआ है । थानाधिकार केकड़ी द्वारा प्रकरण की पूर्ण जांच की गई जिसमें प्रार्थिया का परिवाद झूंठा पाया गया है । प्रकरण में रामावतार डोडिया एवं सहायक खनिज अभियंता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सावर हितबद्ध व आवश्यक पक्षकार नही है । यह भी कथन किया कि विवादित आराजियात पर कोई भी गेर कानूनी खनन कार्य नहीं हो रहा है बल्कि

खनन विभाग द्वारा नियमानुसार खनन पट्टा जारी किया गया है । अप्रार्थीगण द्वारा रामावतार डोडिया के पक्ष में दिनांक 25.11.2019 को मुख्तयारनामा आम पंजीबद्ध करवा दिया था जो प्रार्थीया की पूर्ण जानकारी में था लेकिन प्रार्थिया द्वारा पूर्व में उक्त बाबत् कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है । अब लगभग 15 माह बाद अपील में अंतिम बहस के स्तर पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो प्रकरण को देरिना किए जाने की नियत से पेश किया गया है । प्रकरण में केवल उन्हीं व्यक्तियों को पक्षकार कायम किया जा सकता है जिनका वाद की विषयवस्तु से सीधा संबंध हो एवं उनका हक व अधिकार हो तथा न्यायालय के निर्णय से जिनके हक व अधिकार प्रभावित हो रहे हो अथवा न्यायिक निर्णय व निर्णय में सहयोग हेतु जिनकी उपस्थिति आवश्यक हो । प्रस्तुत प्रकरण में रामावतार डोडिया एवं खनन विभाग का विवादित आराजी से कोई संबंध नहीं है ना ही उनके हक व अधिकार प्रभावित हो रहे है । ऐसी स्थिति में इन्हें पक्षकार बनाया जाना कतई न्यायाचित नहीं है । मुख्तयारग्रहिता, मुख्तयारकर्ता के फुटस्टेप पर होता है । मुख्त्यारग्रहिता को सीधे तौर पर कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होते है । प्रकरण में मुख्त्यारकर्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2 पक्षकार है इसलिये मुख्त्यारग्रहिता को प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है । रामावतार डोडिया एवं खनन विभाग को मूल वाद में अभी तक पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं कानूनन जब तक मूल वाद में इन्हें पक्षकार नहीं बनाया जाता तब तक प्रार्थना पत्र धारा 212 में भी पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है । अतः प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 निरस्त किया जावे।

5. हमनें उभयपक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 पेश कर रामावतार डोडिया एवं सहायक खनिज अभियंता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सावर को अपील में पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर कथन किया कि खनन विभाग द्वारा नियमानुसार खनन पट्टा जारी किया गया है जिसमें किसी प्रकार का गैर कानूनी कार्य नहीं हुआ है । थानाधिकार केकड़ी द्वारा प्रकरण की पूर्ण जांच की गई जिसमें प्रार्थिया का परिवाद झूंठा पाया गया है । प्रकरण में रामावतार डोडिया एवं सहायक खनिज अभियंता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सावर हितबद्ध व आवश्यक पक्षकार नही है । प्रस्तुत प्रकरण में रामावतार डोडिया एवं खनन विभाग का विवादित आराजी से कोई संबंध नहीं है ना ही उनके हक व अधिकार प्रभावित हो रहे है । ऐसी स्थिति में इन्हें पक्षकार बनाया जाना कतई न्यायाचित नहीं है । मुख्तयारग्रहिता, मुख्तयारकर्ता के फुटस्टेप पर होता है । मुख्त्यारग्रहिता को सीधे तौर पर कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होते है । हम विद्वान वकील रेस्पो0 के इस कथन से सहमत है कि मुख्तयारग्रहिता, मुख्तयारकर्ता के फुटस्टेप पर होता है । मुख्त्यारग्रहिता को सीधे तौर पर कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होते है । प्रकरण में मुख्त्यारकर्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2 पक्षकार है इसलिये मुख्त्यारग्रहिता को प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है । इस संबंध में विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टांत आर0एल0डब्ल्यू0 2010 (2) पेज 1177 का अवलोकन किया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि '' आदेश 1 नियम 10–आवश्यक एवं समुचित पक्षकार–संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालनार्थ वाद–आवश्यक एवं समुचित पक्षकार की व्याप्ति– आवश्यक पक्षकार वह व्यक्ति होता है जिसकी अनुपस्थिति में कोई प्रभावी डिक्री पारित नहीं की जा सकती है । हस्तगत प्रकरण में श्री रामावतार डोडिया

मुख्तयारग्रहिता रेस्पो0/मुख्यात्यारकर्ता के फुटस्टेप है जो प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं है । इसी प्रकार खनन विभाग भी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं है । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 निरस्त किया जाता है ।

6. विद्वान वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के साथ नकल न्यायालय श्रीमान् सिविल न्यायाधीश, केकड़ी प्रकरण संख्या 105/2018 उनवानी लाडी बनाम गोपाल के वादपत्र की सत्य प्रति मय फर्द अहकाम पेश कर कथन किया कि उपरोक्त दस्तावेज विवादित आराजी से संबंधित होकर विवादित आराजी की वसीयत को निरस्त करने बाबत् है जो उपरोक्त प्रकरण से संबंधित दस्तावेज होने से उपरोक्त दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जाना अनिवार्य है । उक्त दस्तावेज को रिकार्ड पर लिये जाने से विपक्षी को कोई हानि नहीं होगी । इसलिये उक्त दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जावे ।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 ने जवाब मे कथन किया कि उक्त दस्तावेज हस्तगत प्रकरण को निर्णित करने में सहायक दस्तावेज नहीं है तथा पूर्व से ही रिकार्ड पर है । इसलिये प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 निरस्त किया जावे ।

8. विद्वान वकील अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात सिविल न्यायाधीश, केकड़ी के प्रकरण संख्या 105/2018 की दावे की प्रमाणित प्रतियां है जो वसीयत को निरस्त कराने हेतु पेश किया गया है । उक्त दस्तावेजात पूर्व से ही रिकार्ड पर है इसलिये आवेदन पत्र आवेदन पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 निरस्त किया जाता है ।

9. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

10. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय क निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू पर ध्यान नहीं दिया कि प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में तथाकथित वसीयत को चुनौती दी जाकर सिविल न्यायाधीश महोदय के समक्ष वसीयत के निरस्तीकरण का वाद विचाराधीन है । इसके बावजूद भी अधी0न्याया0 ने उपरोक्त विधिक बिन्दू के विरूद्ध जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर प्रार्थना पत्र निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । खातेदार उद्घोषणा के वाद में कानूनन विवादित भूमि को सुरक्षित किया जाना न्यायिक रूप से अनिवार्य है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपने आदेश द्वारा विपक्षीगण को विवादित आराजियात बेचान, हस्तातंरित करने की छूट प्रदान कर दी है । विवादित आराजी प्रार्थीया के पडनाना गौरू पुत्र काना के नाम दर्ज है व प्रार्थिया ने अधी0न्याया0 के समक्ष वारिसान सजरा नगर पालिका, केकड़ी द्वारा जारी किया हुआ पेश कर यह साबित किया था कि हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत वारिस होने से उपरोक्त विवादित आराजियात में प्रार्थिया के हक व हिस्से तक अधिकार निहित है । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने उपरोक्त दस्तावेज के विपरीत जाकर प्रार्थना पत्र निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विवादित आराजी पर प्रार्थिया काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं होना बिना किसी ठोस आधार के मानते हुए निर्णय पारित किया है । धारा 212 के प्रार्थना पत्र की मंशा के तहत बिन्दु संख्या 3 में अधी0न्याया0 ने अपूर्णीय क्षति प्रार्थिया को नहीं होना मानते हुए जो निर्णय पारित किया है वह अपने आप में ही त्रुटिपूर्ण है क्योंकि विवादित आराजी मुतनाजा पर प्रार्थिया काबिज काश्त है, यदि रेस्सपो0 को बेचान से मौके पर हस्तक्षेप करने से

नहीं रोका जाता है तो रेस्पो0 अपीलांट को मौके से बेदखल कर देगे व रिकार्ड में परिवर्तन करवा लेगें । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलंट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रार्थीया/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर अप्रार्थीगण/रेस्पो0 को ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

11. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात पुश्तैनी आराजियात नहीं है । गौरू पुत्र काना की मृत्यु लगभग 75 वर्ष पूर्व हो चुकी थी तब उसके एक मात्र लड़की ग्यारसी ही थी तब प्रार्थिया एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का जन्म भी नही हुआ था । वादवर्णित आराजियात की मालिक एकमात्र ग्यारसी पतिन मांगीलाल पुत्री गौरू थी जिसने अपने जीवनकाल में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम रजिस्टर्ड वसीयत कर दी थी तथा ग्यारसी की मृत्यु उपरांत वसीयत के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम नामांतकरण स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेख में इंद्राज हो चुका है । बहस में यह भी कथन किया कि अपीलांट का विवादित आराजियात पर कब्जा काश्त नहीं है । रेस्पो0 विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिन्हें किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत प्रार्थना पत्र निरस्त किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0एल0डब्ल्यू0 2010 (2) पेज 1177 सुप्रीम कोर्ट, आर0बी0जे0 1998 पेज 184, आर0एल0डब्ल्यू0 2011 (2) पेज 793, आर0एल0डब्ल्यू0 1999 (2) राज0 पेज 1358, आर0आर0टी0 2013 (1) पेज 123, 133, आर0आर0टी0 2015 (1) वपेज 633, आर0आर0टी0 2018 (1) पेज 692, आर0आर0टी0 2015 (1) पेज 560 एवं आर0आर0टी0 2017 (2) पेज 799 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

12. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 3 से 7 ने बहस में कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 3 से 7 ने विवादित आराजियात खातेदार काश्तकार रेस्पो0 संख्या 1 व 2 से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के क्रय कर कब्जा काश्त प्राप्त किया है । अपीलांट रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष में निष्पादित वसीयत एवं रेस्पो0 संख्या 3 से 7 के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्रों को निरस्त कराये बिना किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकती है। विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रार्थना पत्र निरस्त किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

13. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । प्रार्थीया/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 पेश कर विवादित आराजियात प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी आराजियात है जिसमें प्रार्थिया का भी हक व अधिकार निहित है । प्रार्थिया पड़नाना की सम्पति को प्राप्त करने की हकदार है । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र धारा 212 का जवाब पेश कर कथन किया कि विवादित आराजियात प्रार्थिया एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी आराजियात नहीं है बल्कि विवादित आराजियात अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जरिये पंजीकृत वसीयत से प्राप्त हुई है ।

14. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात पुराने खसरा नंबर 760/1 व खसरा नंबर 760/2 को खातेदार श्रीमती ग्यारसी पुत्री

गौरू पत्नि स्व0 मांगीलाल, जाति माली ने अप्रार्थी संख्या 1 गोपाल व 2 को जरिये पंजीकृत वसीयत दिनांक 15.3.1988 को निष्पादित की है । पत्रावली पर उपलब्ध मृत्यु प्रमाण से स्पष्ट है कि श्रीमती ग्यारसी देवी की मृत्यु दिनांक 5.8.1988 को हो चुकी है । ग्यारसी की मृत्यु उपरांत अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा वसीयत के आधार पर प्रार्थना पत्र तहसीलदार, केकड़ी के समक्ष दिनांक 16.9.1991 को पेश किया जिसके आधार पर उक्त आरायिजात का नामांतकरण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम किया गया है । तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 7 को विवादित आराजियात के दक्षिणी 1/2 हिस्से व चाह के 1/2 हिस्से का जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 6.3.1992 को बेचान किया है जिससे उक्त विक्रयशुदा भूमि पर अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 7 का कब्जा चला आ रहा है । अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह साबित हो कि विवादित आराजियात पर अपीलांट का वर्तमान में कब्जा काश्त रहा हो । पक्षकारों के मध्य मूल वाद अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है जिसमें अपीलांट/वादिया को क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है इसका निस्तारण मूल वाद में बाद साक्ष्य किया जावेगा किन्तु वर्तमान में विवादित आराजियात के अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार होकर काबिज है । एक रिकार्ड खातेदार को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अपीलांट के पक्ष में साबित नहीं होने से अधी0न्याया0 ने प्रार्थिया/अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 खारिज किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

15. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.11.2019 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

16. निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर